

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जून 2021—ज्येष्ठ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2021

शुद्धिपत्र

क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच (37).—मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पांच-(28), दिनांक 31 मई 2021 के अंग्रेजी पाठ में अंक एवं शब्द “31 मई, 2020” के स्थान पर अंक एवं शब्द “31 मई, 2021” पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2021

क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पांच (37), दिनांक 7 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2021

CORRIGENDUM

No. F A 3-40-2018-1-V(37).—In the English version of notification No. F A 3-40-2018-I-V (28), dated 31st May 2021, of Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department for the figures and words “31st May, 2020”, the figures and words “31st May, 2021” shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.